

(५)
न्यायालय अपर समाहर्ता, बोकारो।

एल0सी0 अपील वाद संख्या-22/2016
(जमाल अंसारी बनाम् अजिज अंसारी एवं अन्य)

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
22/14/17	प्रस्तुत अपीलवाद भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास के न्यायालय का भू-हदबंदी वाद संख्या-03/2013-14 (जमाल अंसारी बनाम् अजिज अंसारी एवं अन्य) में पारित अंतिम आदेश दिनांक 30.09.2016 के विरुद्ध श्री जमाल अंसारी, पिता वाहिद अंसारी, ग्राम-सीमाबाद, पोस्ट-पुण्डरू, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा यह अपील वाद इस न्यायालय में लाया गया है। विवादित भूमि मौजा पुण्डरू, खाता नं०-91, प्लॉट नं०-3240, कुल रकवा-10 डिसमिल। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा उनके द्वारा दाखिल किये गये Written Argument एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष का कहना है कि मौजा पुण्डरू, खाता नं०-91, प्लॉट नं०-3240, कुल रकवा-1.08 एकड़ भूमि का सर्वे खतियान में जीतू मियां के नाम से दर्ज है, जिसका खतियान में किस्म टॉड दर्ज है। विपक्षी संख्या 01 एवं 02 के द्वारा विपक्षी संख्या 03 के पक्ष में पंजीकृत दस्तावेज संख्या-4210 दिनांक 15.07.2013 के द्वारा 0.10 एकड़ भूमि बिक्री किया गया है। आवेदकगण खतियानी रैयत के वंशज हैं तथा प्रासंगिक भूमि के सन्निकट रैयत हैं। विपक्षी संख्या 03 उक्त भूमि के न तो सन्निकट रैयत हैं न ही उक्त भूमि के सह-हिस्सेदार हैं। उपरोक्त भूमि कृषि योग्य भूमि हैं तथा दस्तावेज में भूमि का किस्म कृषि योग्य टॉड उल्लेखित है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदित भूमि पी0सी0सी0 रोड़ से 150 फीट की दूरी पर है। अंचल अधिकारी द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन अवैध है, जिसे खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ ही उक्त भूमि को Land Celling Act 1961 की धारा 16 (3)(i) के तहत आवेदक को हस्तान्तरित करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रतिपक्षी द्वारा दाखिल किये गये लिखित बहस में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि विपक्षी संख्या-01 एवं 02 का पैतृक सम्पत्ति है। उक्त	



आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की क्रम सं०
और तारीख

24/4/17

भूमि विपक्षी संख्या-01 एवं 02 ने अपने आवश्यकता के कारण विपक्षी संख्या-03 को उचित मूल्य लेकर बिक्री किया है। आवेदक न तो सह-हिस्सेदार हैं ना ही निकटवर्ती रैयत हैं। प्रासंगिक भूमि आवासीय योग्य भूमि है, जिसपर Land Ceiling Act 1961 की धारा 16 (3)(i) लागू नहीं होता है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदक जमाल अंसारी के पिता वाहिद अंसारी के द्वारा उक्त प्लॉट का अंश जमीन निबंधित केवाला संख्या-1829, दिनांक 25.04.2016 के द्वारा हसीना बीबी पति इब्राहिम अंसारी, ग्राम+पोस्ट-पुण्डरू, टोला सीमाबाद, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो को बिक्री किया गया है, जिसमें भूमि का किस्म आवासीय योग्य खाली जमीन वर्णित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि आवासीय योग्य है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में अंचल अधिकारी, चास का पत्रांक 1873, दिनांक 22.09.2016 द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास को समर्पित जॉच प्रतिवेदन संलग्न है, जिसमें अंचल अधिकारी के द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि आवासीय योग्य है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा दाखिल किये गये लिखित बहस का अवलोकन करने तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्वतः विदित होता है कि उपरोक्त भूमि मौजा पुण्डरू, खाता नं०-91, प्लॉट नं०-3240, कुल रकबा-10 डिसमिल आवासीय योग्य भूमि है, जिसपर Land Ceiling Act 1961 की धारा 16 (3)(i) लागू नहीं होता है। इस हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास के एल०सी० वाद संख्या-03/2013-14 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 30.09.2016 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में दाखिल किये गये अपीलवाद को खारिज करते हुए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता,
बोकारो।

अपर समाहर्ता,
बोकारो।

No. 69
C.C. Issued Vide
Dated 18/05/18

No. 7543
C.C. Issued Vide
Dated 18/05/18